बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-5/आ०2-1029/2022- 801 पटना, दिनांक:- 28/4/25

मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र के पत्रांक-413, दिनांक-26.06.2024 के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया कि बौंसी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन दिनांक-15.08.2020 तक पूर्ण कर लिया जाना था। योजनान्तर्गत बौंसी प्रखंड के दलिया पंचायत में वार्ड सं0-01, 02, 03, 04 ,05 ,06, 07 एवं 08 तथा कसबा मंदार पंचायत के वार्ड सं0-14, 15 एवं 16 अंतर्गत बसावटों को उक्त पेयजल से आच्छादित किया जाना था। कार्यपालक अभियंता, बाराहाट के प्रतिवेदन के अनुसार अब तक इस योजना अन्तर्गत 2.5565 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है, जो DB Cost का लगभग 43 प्रतिशत है। श्री मनीष कुमार प्रियदर्शी, तत्कालीन सहायक अभियंता(यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बाँका सम्प्रति सहायक अभियंता(यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी दिनांक-14.08.2021 से दिनांक-13.02.2023 तक सहायक अभियंता(यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बाँका के पद पर कार्यरत्त रहे हैं। उनके स्तर से संवेदक को कुल 25,48,274/- रूपये के भुगतान हेतु अनुशंसा प्रमंडल से किया गया। कार्यपालक अभियंता, बाराहाट के प्रतिवेदन के अनुसार अद्यतन योजना के सभी अवयवों का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। योजनान्तर्गत पाईप बिछाने, Clariflocculator, House Connection, Raising Main, RCC Stand Post इत्यादि अनेक अवयवों का कार्य अभी भी शेष है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आज तक योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

2. अभिलेखों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय आदेश सं0-165-सह-पठित ज्ञापांक-1270, दिनांक-13.07.2020 द्वारा फर्म को डिबार किया गया एवं कार्यपालक अभियंता, बाँका के पत्रांक-2426, दिनांक-12.12.2022 द्वारा संवेदक को एकरारनामा विखंडित संबंधित नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु डिबार करने एवं एकरारनामा विखंडित करने का नोटिस निर्गत करने के पश्चात अग्रेतर नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका एवं ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लाभ से वंचित होना पड़ा। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के पत्रांक-1326, दिनांक-10.07.2024 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त योजना के अंतिम मापी के अनुसार Negative विपत्र 3082669.00 रूपये मात्र का है, जिसके विरूद्ध संवेदक से मात्र 13,40,000.00 रूपये ही वसूल की गयी है।

3. वर्णित स्थिति में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत बौंसी ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने हेतु विभागीय पत्रांक-815, दिनांक-31.07.2024 द्वारा श्री प्रियदर्शी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। पुनः विभागीय पत्रांक-1410, दिनांक-14.10.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु श्री प्रियदर्शी को स्मारित किया गया, परन्तु स्मारित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

abh/sanklp

4. श्री प्रियदर्शी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विषयांकित मामले में उनके स्तर से बरती गयी लापरवाही एवं शिथिलता हेतु बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते है कि अभिकथित आरोप के लिए श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. आरोपित श्री प्रियदर्शी, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

6. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति एवं आरोप पत्र(अनुलग्नक सहित) श्री मनीष कुमार प्रियदर्शी, तत्कालीन सहायक अभियंता(यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बाँका सम्प्रति सहायक अभियंता(यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

7. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ०2-1029/2022-   पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

abh/sanklp

ज्ञापांक-5/आ०2-1029/2022- 801 पटना, दिनांक- 28/4/25

प्रतिलिपि:-श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को आरोप पत्र की प्रति अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.04.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

25.4.25